mjcr-148/26

23.02.2026 राज्य द्वारा ए0 डी0 पी0 ओ0।

आवेदक सहित अधिवक्ता श्री पुष्पेंद्र सिंह कुशवाह उपस्थित।

प्रकरण आज केस डायरी प्रतीक्षा एवं आवेदन पत्र अंतर्गत धारा 497/503 भा0ना0सु0सं0 पर विचार हेतु नियत है।

थाना देहात से अपराध क्रमांक 21/2026 की केस डायरी मय प्रतिवेदन प्राप्त।

प्रकरण थाना देहात के अपराध क्रमांक 21/2026 अंतर्गत धारा 281 एवं 125ए बी.एन.एस. में दर्ज है।

आवेदन सारतः इस आशय का है कि अभियोगी पुलिस द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध प्रकरण पंजीबद्ध कर आवेदक की मालिकी एवं आधिपत्य का वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 07 P 0881 को पुलिस थाना देहात द्वारा जप्त किया गया है। उपरोक्त वाहन आवेदक के दैनिक उपयोग का है। जिसको जप्त कर लिए जाने से आवेदक को काफी परेशानियों का सामना करना पड रहा है तथा प्रकरण के अनुसंधान व विचारण में समय लगना संभावित है। उक्त वाहन पुलिस थाना देहात में खुले में रखा हुआ है, जिससे देखरेख के अभाव में उसमें खराब होने एवं मूल्य कम होने की पूर्ण संभावना है। इसलिए उक्त वाहन को आवेदक सुपुर्दगी में प्राप्त करना चाहता है। आवेदक माननीय न्यायालय की शर्तों का पालन करने हेतु तत्पर है। अतः उक्त वाहन को सुपुर्दगी पर दिये जाने का निवेदन किया।

आवेदन पत्र पर तर्क के आलोक में केस डायरी का अवलोकन किया गया।

केस डायरी के परिशीलन से यह दर्शित होता है कि आरक्षी केन्द्र उमरी द्वारा अपराध क्रमांक 21/2026 अंतर्गत धारा 281, 125ए बी.एन.एस. में वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 07 P 0881 को जप्त किया गया है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत रजिस्ट्रेशन के परिशीलन से आवेदक उक्त वाहन का पंजीकृत स्वामी होना दर्शित है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत बीमा से घटना के समय वाहन बीमित होना विदित है। आवेदक द्वारा फिटनिस एवं परमिट की भी छायाप्रति पेश की गई है। आवेदक द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड से उसकी पहचान सुनिश्चित है। आवेदक द्वारा उक्त वाहन के संबंध में वाहन का बीमा भी प्रस्तुत किया गया है। किसी अन्य व्यक्ति ने वाहन बस जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 07 P 0881 के स्वामित्व का प्राख्यान नहीं किया है। अतः उक्त तथ्यों के आलोक में आवेदक बस जिसका रजिस्ट्रेशन नं0 MP 07 P 0881 का उचित अभिधारी होना प्रकट है।

प्रकरण के निराकरण में समय लगने की संभावना है। वाहन के आरक्षी केंद्र में खड़ा रहने से उसके मूल्य में ह्रास होने अथवा उसके क्षतिग्रस्त होने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता। आरक्षी केंद्र उमरी द्वारा उक्त वाहन की अनुसंधान में आवश्यकता होना नहीं दर्शाया है। अतः प्रकरण के निराकरण होने तक उसे अभिरक्षा में निरूद्ध रखना उचित प्रतीत नहीं है।

फलतः उक्त समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आवेदक/सुपुर्ददार की ओर से प्रस्तुत आवेदन पत्र स्वीकार किया जाता है। आदेशित किया जाता है कि यदि आवेदक/सुपुर्ददार **20,00,000/–(बीस लाख) रूपये** का सुपुर्दनामा प्रस्तुत करें तो वाहन निम्नांकित शर्तो के अंतर्गत दी जाए :–

1– आवेदक/सुपुर्ददार जप्तशुदा वाहन के किसी यांत्रिक व बाह्य स्वरूप मे परिवर्तन नहीं करेगा।

2– वह जप्तशुदा वाहन को सुपुर्दगी में प्राप्त करने के उपरांत बिना न्यायालीयन अनुज्ञा के किसी के पक्ष में किसी भी प्रकार से हस्तांतरित नहीं करेगा तथा न्यायालय द्वारा आदेशित किये जाने पर स्वयं के व्यय पर जप्तशुदा वाहन को न्यायालय में पेश करेगा, तो प्रकरण में जप्तशुदा वाहन तुरंत सुपुर्दगी में प्रदान किया जावे।

3– रिहाई आदेश पर टीप अंकित की जाए कि वाहन की अन्य प्रकरण में आवश्यकता न होने पर उसकी मैकेनिकल जांच कराये जाने के उपरांत सुपुर्दगी पर दिया जाए।

प्रवर्तन लिपिक, पत्रावली व समस्त प्रपत्र सुरक्षित अभिरक्षा में रखे व अभियोग पत्र प्रस्तुत होने पर उसमें संलग्न करे।

(अभिजीत सिंह)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी
भिण्ड (म.प्र.)

ABHIJEET SINGH

Digitally signed by ABHIJEET SINGH
Date: 2026.02.23 16:53:11 +0530